

# प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-27.09.2024

---

मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी-

1-दिनांक 12.10.2004 को धारा 3(1)यू0पी0गैगेस्टर एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.आबिद सिद्दीकी उर्फ प्रिन्स पुत्र ताहिर शेक निवासी रेवसा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 145/2004 धारा 3(1)यू0पी0गैगेस्टर एक्ट थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार आरक्षी संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-27.09.2024 को पीठासीन श्री श्यामबाबू(अपर सत्र न्यायधीश/एफटीसी प्रथम चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त 1.आबिद सिद्दीकी उर्फ प्रिन्स पुत्र ताहिर शेक निवासी रेवसा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 03 वर्ष कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**थाना धीना पुलिस टीम द्वारा 10000रू0/- का इनामिया गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-**

थाना धीना पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 57/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि() 1986 में वांछित 10000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त गुलू पाण्डेय उर्फ बुल्लू उर्फ जितेन्द्र पुत्र रामगोपाल पाण्डेय उर्फ राम अकवाल निवासी महुरा प्रकाशपुर थाना धीना जिला चन्दौली उम्र करीब वर्ष 35 को गिरफ्तार किया गया।

**नाम पता अभियुक्त-**

1. गुलू पाण्डेय उर्फ बुल्लू उर्फ जितेन्द्र पुत्र रामगोपाल पाण्डेय उर्फ राम अकवाल निवासी महुरा प्रकाशपुर थाना धीना जिला चन्दौली उम्र करीब वर्ष 35

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 57/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना धीना जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 80/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व ॥ पशु क्रूरता निवारण अधि० थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
3. मु0अ0सं0 93/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

**मा० न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा की सजा व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी-**

1-दिनांक 11.02.1997 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. गुल्लु यादव पुत्र झगडू यादव निवासी मोई थॉद जिला भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 08/1997 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विपिन बिहारी यादव(पीओ) व थाना शहाबगंज के पैरोकार आरक्षी विपिन यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-27.09.2024 को पीठासीन श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम० चकिया चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त 1. गुल्लु यादव पुत्र झगडू यादव निवासी मोई थॉद जिला भभुआ बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा की सजा व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**मा० न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया-**

1- दिनांक 12.08.2004 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मन्ना सिंह पुत्र स्व० भगेलू सिंह निवासी सवैया थाना सैयदराजा चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 121/2004 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमारकी प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-27.09.2024 को पीठासीन श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त 1.मन्ना सिंह पुत्र स्व० भगेलू सिंह निवासी सवैया थाना सैयदराजा चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 10000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**मा० न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया –**

1- दिनांक 31.10.1999 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अतीक पुत्र मो० शफीक निवासी लाल बिहारा थाना बमरौली धूमनगंज प्रयागराज के विरुद्ध अपराध संख्या- 151/1999 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमारकी प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-27.09.2024 को पीठासीन श्री संदीप कुमार (सिविल जज सि०डि०/एसीजेएम चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त 1. अतीक पुत्र मो० शफीक निवासी लाल बिहारा थाना बमरौली धूमनगंज प्रयागराज को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

**मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया-**

1-दिनांक 25.01.2002 को धारा 3/5ए/8 गोवध नि.अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त  
1.बलवन्त पुत्र रेहू निवासी कमालपुर थाना धआनापुर चन्दौली 2.बाबू नन्दन पुत्र दुखी निवासी रानेपुर थाना सकलडीहा चन्दौली  
3.शिवमूरत पुत्र शिवनाथ निवासी भरेहटा थाना बलुआ चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 18/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध नि.अधि0  
व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना धीना में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना धीना के पैरोकार मुख्य आरक्षी राम प्रवेश यादव की प्रभावी  
पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-27.09.2024 को पीठासीन श्री संदीप कुमार (सिविल जज सि0डि0/एसीजेएम  
चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी  
किए जाने के फलस्वरूप दिनांक-27.09.24 को सिविल जज (सी.डि.)/एसीजेएम जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.बलवन्त पुत्र रेहू  
निवासी कमालपुर थाना धआनापुर चन्दौली 2.बाबू नन्दन पुत्र दुखी निवासी रानेपुर थाना सकलडीहा चन्दौली 3.शिवमूरत पुत्र  
शिवनाथ निवासी भरेहटा थाना बलुआ चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

## **थाना नौगढ़ पुलिस द्वारा गैगैस्टर ँकट का वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-**

थाना नौगढ़ पर गठित टीम द्वारा वांछित अभियुक्तगण के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 28.09.2024 को थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह मय टीम द्वारा समय 06.10 बजे बरहवां पुल के पास से 01 नफर वांछित अभियुक्त रामसखी पुत्र बन्धू निवासी ग्राम जनकपुर थाना चकरघट्टा चन्दौली उम्र करीब 55 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 90/24 धारा 3(1) गैगैस्टर ँकट थाना नौगढ़ को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

### **अभियुक्त का विवरण-**

1.रामसखी पुत्र बन्धू निवासी ग्राम जनकपुर थाना चकरघट्टा चन्दौली उम्र करीब 55 वर्ष

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण –**

1. मु0अ0सं0 – 70/2023 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नौगढ़ चन्दौली

2. मु0अ0सं0 90/2024 धारा 3(1) गैगैस्टर ँकट थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली